<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०</u>
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 09.03.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 91/2026
सीआईएस नं. 1041/2016
CNR No. RJBR020011132016
एफआईआर सं. 536/2016 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0
PART– I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	मोलकचंद पुत्र जानकीलाल निवासी गुराडी थाना छीपाबडौद जिला बारां
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		12.07.2016
एफआईआर की दिनांक		13.07.2016
आरोप पत्र की दिनांक		08.12.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		08.12.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		08.12.2016
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		09.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	मोलकचंद	–	–	279, 337, 338 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	–

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	नरेश कुमार	परिवादी
PW2	कोमल सिंह	ताईद नक्शा मौका
PW3	महावीर	ताईद नक्शा मौका
PW4	डॉक्टर ओमप्रकाश मालव	चिकित्सीय साक्षी
PW5	राजेन्द्र कुमार	ताईद फर्द जप्ती
PW6	रघुवीर सिंह	ताईद मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट
PW7	प्रियंका	ताईद एक्सरे करना
PW8	प्रताप सिंह	हालात तफ्तीश

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 08.12.16 PW1, PW2	तहरीर रिपोर्ट
2	Ex P2 08.12.16 PW2, PW3, PW9	नक्शा मौका
3	Ex P3 15.03.17 PW4	चोट प्रतिवेदन
4	Ex P4 15.03.17 PW4	चोट प्रतिवेदन
5	Ex P5 15.03.17 PW4	एक्सरे कवर नोट
6	Ex P6, Ex P7 15.03.17 PW4	एक्सरे प्लेट
7	Ex P8 21.04.22 PW5, PW9	फर्द जप्ती
8	Ex P9 24.01.25 PW6	मेकेनिकल मुआयना
9	Ex P10 26.05.25 PW7	एक्सरे कवर नोट
10	Ex P11, Ex P12 26.05.25 PW7	एक्सरे प्लेट
11	Ex P13 23.03.26 PW9	एमवी एक्ट का नोटिस

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.07.2016 को फरियादी श्री नरेश कुमार तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 इस आशय की पेश की है कि वह ग्राम खड़ीला का रहने वाला है। अभी करीब 5 वर्षों से परिवार सहित मकान बनाकर रिद्धिका कालोनी बारां में रहता हैं। वह राज०उच्च माध्य० विधा० मोठपुर तह० अटरु में अध्यापक है। कल दिनांक 12.07.2016 सुबह माटर साइकिल RJ-28-SA 6694 Passion-Pro से मोठपुर स्कूल में गया था। कल स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह झाड़ौता देवनारायण चला गया था। उसके साथ कोमल सिंह जादौन जो उसके स्कूल में अध्यापक है। दोनो झाड़ौता से उसकी मोटर साइकिल से स्वाना हुए। वह मोटर साइकिल चला रहा था। कोमल सिंह पीछे बैठे हुए थे। शाम को 6 बजे करीब झालावाड़ रोड़ कलमंडा पेट्रोल पंप के सामने आए तो पीछे से आ रही बोलेरो नं० RJ-17-UA-4681 के चालक ने लापरवाही व तेज गति से चलाकर उसकी मोटर साइकिल के टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह और कमल सिंह नीचे गिर गए जिससे उसके दांए पैर में गंभीर चोट आने से फेक्चर हो गया व शरीर में अन्य जगह भी चोटे आई है। फिर 108 एम्बूलेंस से फोन करके उसे व कोमल सिंह को लेकर इलाज के लिए लाकर भर्ती कराया। उसका व कोमल सिंह का इलाज जोनल होस्पिटल बारां में चल रहा है। कोमल सिंह को भी चोटे आई है।.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 536/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को जुर्म धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में मुल्जिम को झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, घ ाटनास्थल का नक्शा मौका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, अभियुक्त की पहचान किसी भी गवाह के द्वारा नहीं की गई है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.07.2016 को समय शाम 6 बजे करीब स्थान झालावाड रोड कलमंडा पेट्रोल पंप के सामने अपने वाहन बोलेरो नं0 आरजे 17 यूए 4681 के चालक ने मोटरसाईकिल को गफलत, लापरवाही व तेज गति से चलाकर फरियादी नरेश कुमार की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी, जिससे उसके नीचे गिरने से उसके शरीर में साधारण व गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित हुईं। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 नरेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.07.2016 की बात है। वह स्कूल से मोठपुर से मोटरसाईकिल से वह और कोमल सिंह आ रहे थे। कलमंडा पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे तो पीछे से बोलेरो गाडी वाले ने जो तेज गति से और लापरवाही से चलाते हुए उनके टक्कर मार दी थी। टक्कर से वे दोनों नीचे गिर गए थे। उसके दाहिने पैर में फ्रेक्चर हो गया था जो दो जगह पर हुआ था। वहां पर पेट्रोल पंप वालों ने एम्बुलेंस को फोन किया था और 108 एम्बुलेंस उसे और कोमल सिंह को बारां अस्पताल लेकर आए थे। जिस गाडी ने उन्हें टक्कर मारी थी उसके नंबर आरजे 17 यूए 4681 ने मारी थी ये उसी के नंबर है। इस बात की उसने रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने रिपोर्ट जोनल अस्पताल में दी थी वहां सपर पुलिस आई थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे स्कूल से एक प्रोग्राम था उसमें से वापस आ रहे थे। उनसे पुलिस वालों ने मांगा नहीं था। इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को लाईसेंस नहीं दिया था। सही है कि उस समय

हल्की बारिश हो रही थी पानी के छांटे पड रहे थे। सही है कि थाने में उनेंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट पुलिस वाले ने लिखी थी। सही है कि उन्होंने उनकी कलमी कोई रिपोर्ट लिखकर नहीं पेश की थी। उनहें कांच में से पीछे से आ रही गाडी दिख रही थी और उसने आते ही पीछे से टक्कर मार दी थी। उसकी गाडी 50 किसी प्रतिघंटा की स्पीड से चल रही थी। बोलेरो गाडी के नंबर उन्हें पेट्रोल पंप वाले ने बताए थे। उसके पुलिस में बयान हुए थे जो दिनांक 13.07.2016 को हुए थे। यह कहना गलत हे कि रोड पर उस समय मिट्टी पडी हुई थी। घटना के समय 10–12 आदमी वहां पर इकठ्ठे हो गए थे। जिसने दुर्घटना की थी उसका`वह शक्ल और नाम से नहीं जानता है।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 कोमल सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.07.2016 की बात है। वह और नरेश जी मोटरसवाईकिल से स्कूल से आ रहे थे। मोटरसाईकिल को नरेश चला रहा था। कलमण्डा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से स्पीड में बोलेरो गाडी आ रही थी, जिसने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी। जिससे उसके सिर में चोट आई थी पैर में चोट आई थी। उसकी एडी में फ्रैक्चर हो गया था। नरेश के भी जांघ में दो स्थानों पर फ्रैक्चर आया था। जिस गाडी से टक्कर हुई थी उस गाडी का नंबर आरजे 17 यूए 4681 था। वहां से उन्हें एम्बुलेंस में बारां सरकारी अस्पताल में लाए थे। उसके बाद अगले दिन जोनल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। इस बात की उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस की पुश्त पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद में पुलिस आई थी नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि उसे पत नहीं है कि उनके साथ किसने घटना कारित की थी और उसका नाम क्या है।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 महावीर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके सामने पुलिस आई थी वह उस समय पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहा था। उस समय पुलिस ने मौका देखा था नक्शा मौका बनाया था और उसे बुलाकर हस्ताक्षर करवाए थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह नक्शा मौका में नहीं समझता है। वह पहले कभी काम नहीं पडा हैं पुलिस ने नक्शा

मौका में क्या लिखा है उसे पता नहीं है। सही है कि प्रदर्श पी 02 पर और किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हो रहे थे। सही है कि प्रदर्श पी 02 पर लक्ष्मीनारायण और कोमल किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हो रहे थे। पुलिस वाले दो ही आदमी थे उनके साथ और कोई भी नहीं था। उससे तो पुलिस वालों ने कहा इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिए थे।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 डॉक्टर ओमप्रकाश मालव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 16.07.2016 को राजकीय चिकित्सालय बारां में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी थाना कोतवाली बारां के प्रतिवेदन पर मजरूब नरेश कुमार के शरीर पर आई चोटों का डॉक्टरी मुआयना किया था। चोट नंबर 01 दाहिने पैर में प्लास्टर बंधा जो जांघ से तलवे तक बंधा हुआ था। चोट नंबर 02 खरोंच 5 गुना 02 सेमी जो सिर के दाहिनी ओर था। चोट नंबर 03 खरोच 6 गुना 3 सेमी जो बांये कंधे पर थी। चोट नंबर 04 खरोच 4 गुना 2 सेमी जो बांये कूल्हे पर थी। चोट नंबर 05 खरोंच 3 गुना 1 सेमी जो उपरी होंठ पर थी। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित की हुई थी। चोट नंबर 2, 3, 4 साधारण प्रकृति की थी। चोट नंबर 01 के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी जो बाद एक्सरे गंभीर प्रकृति की पाई गई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है और सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है तथा ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय अंकित है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और सी से डी एक्सरे की राय अंकित है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 व पी 07 है। उसी दिन उसने मजरूब कोमल सिंह के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट नंबर 01 टांके लगा कुचला हुआ घाव 10 सेमी लंबा दाहिने टखने पर था। चोट नंबर 02 खरोंच 3 गुना 1 सेमी जो सिर के बांई ओर पर था। चोट नंबर 03 खरोच 6 गुना 3 सेमी जो बांये कंधे पर था। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित की हुई थी। चोटों की अवधि 3 से 5 घंटे की थी। चोट नंबर 03 साधारण प्रकृति की थी। चोट नंबर 1 व 2 के लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। बाद एक्सरे चोट नंबर 1 व 2 साधारण प्रकृति की पाई गई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है ई से एफ बाद एक्सरे उसकी राय अंकित है।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि सही है कि उक्त चोटें गिरने–पडने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

17. गवाह पी0डब्ल्यू–05 राजेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 23.07.16 को थाना कोतवाली बारां में कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं0 536/2016 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भादस में अनुसंधान अधिकारी प्रताप सिंह एएसआई द्वारा मुकदमे में वांछित एक बोलेरों गाडी नं0 आरजे 17 यूए 4681 को थाना परिसर में उसके व मनीष के सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 8 के जब्त किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

18. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि गाडी को उसका वाहन स्वामी स्वयं लेकर आया था। वाहन स्वामी का नाम रामगोपाल है। गाडी पर आगे बम्पर पर खरोंच के निशान थे। उसके सामने वाहन का कागजात नही लिए गए। यह आईओ को पता होगा। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई जप्ती ना की गई हाो और आज झूठे बयान दे रहा हो।

19. गवाह पी0डब्ल्यू–06 रघुवीर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.07.2016 को वह पुलिस लाईन बारां में एचसी एमटी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना कोतवाली बारां के प्रतिवेदन पर थाना हाजा के मुकदमा संख्या 536/2016 धारा 279, 306, 337, 338 आईपीसी में जप्तशुदा वाहन बोलेरो नंबर आरजे 17 यूए 4681 थाना परिसर में खडी हुई का मेकेनिकल मुआयना किया उसके सारे सिस्टम कार्य कर रहे थे। वाहन में स्ट्रीम पाईप में दांई तरफ मोच आई थी व पाईप दबा हुआ था। मेकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी राय अंकित है।

20. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जिस गाडी का मैकेनिक मुआयना उसने किया था वो गाडी थाना परिसर में खडी थी। मोटरसाईकिल जहां खडी रहती है, गाडी वहीं खडी हुई थी। गाडी सफेद कलर की थी। उसने मोटर ड्राइविंग स्कूल का कोर्स कर रखा है। गाडी के नंबर 17 यू ए 4681 है। यह उसे पता नहीं है कि उस समय वहां पर और कौन कौन था। मैकेनिक मुआयना उसने दिन में किया था, समय आज उसे याद नहीं है। उसे गाडी के चेसिस नंबर सी 60503 याद है। उसे इंजन नंबर याद नहीं है। यह कहना सही है कि गाडी कहीं से भी डेमेज नही थी। यह कहना सही है कि कोई खरोंच वगैरह नहीं थी।

21. गवाह पी0डब्ल्यू–07 प्रियंका ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.07.2016 को वह राजकीय चिकित्सालय बारां में रेडियोग्राफर कके पद पर पदस्थापित

थी। उस दिन मजरूब कोमल सिंह के शरीर पर आई चोटों का एक्सरे डॉक्टर ओपी मालव की उपस्थिति एवं निर्देशन में किया था जिसका एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसकी कलमी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 11 व 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने नरेश कुमार के शरीर पर आई चोटों का एक्सरे डॉक्टर ओपी मालव की उपस्थिति व निर्देशन में किया था। जिसका एक्सरे कवरनोट प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से उी उसकी कलमी व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 व 07 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

22. गवाह पी0डब्ल्यू–08 प्रताप सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 13.07.2016 को थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। मुकदमा नं 536/2016 धारा 279, 337 आईपीसी का अनुसंधान आईसी थाना द्वारा उसे सुपुर्द किया गया था। दौराने अनुसंधान बयानात गवाहन नरेश कुमार, राकेश कुमार, कोमल सिंह, लक्ष्मीनारायण के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शा मोका बनया जो प्रदर्श–पी 02 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मजरूबान की एमएलसी एक्सरे करवाकर शामिल पत्रावली किये। प्रकरण में वांछित एक बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 17 यूए 4681 को जरिये फर्द प्रदर्श–पी 08 वाहन स्वामी रामगोपाल द्वारा पेश करने पर जब्त किया। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ रामगोपाल के हस्ताक्षर है। वाहन स्वामी रामगोपाल को धारा 133 एमवी एक्ट को नोटिस दिया। जो प्रदर्श–पी 13 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी वाहन स्वामी के हस्ताक्षर ई से एफ वाहन स्वामी का जवाब है। जवाब में वक्त घटना मोलक चंद के द्वारा वाहन चलाना बताया। जब्तशुदा बोलेरो का मैकेनिकल मुआयना करवाकर शामिल पत्रावली किया। बोलेरो की आरसी इंश्योरेंस व ड्राईवर के डीएल की फोटोप्रतियां लेकर शामिल पत्रावली की। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम मोलक चंद के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली चालान हेतु एसएचओ को लौटाई गई।

23. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि तहरीर रिपोर्ट उसने नहीं लिखी। मुकदमें का अनुसंधान उसे 13.07.2016 को मिला था। मिलने के बाद उसका अनुसंधान शुरू हो गया। वह मौके पर चार दिन बाद गया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श–पी 02 पर ए से बी भाग में ओवर राईटिंग हो रही हो। यह सही है जिन गवाहो के बयान उसने लेखबद्ध किये है उन गवाहों को

फरियादी लेकर आया था। यह सही है कि मौके पर कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिले। आज खुद कहा कि घटनास्थल आम रोड होने से वाहनों का आवागमन होता रहता है। यह सही है कि मौके पर कोई खून आलूदा निशान नहीं थे। यह सही है कि मजरूबान के ईलाज के पर्चे शामिल पत्रावली नहीं है। यह कहना गलत है मजरूबान चलती हुई मोटरसाईकिल से फिसलकर गिर गए हो इस कारण उनको चोटें आई हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान को झूठा फंसाया हो।

24. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 परिवादी नरेश मीणा के द्वारा इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 12.07.2016 को सुबह मोटरसाईकिल नंबर आरजे 28 एसए 6694 से स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके साथ उसका दोस्त कोमल सिंह जादौन दोनों अध्यापक होते हुए झाडौता से मोटरसाईकिल से रवाना होते समय झालावाड रोड कमंडा पेट्रोल पंप के सामने आए तो पीछे से आ रही बोलेरो नंबर आरजे 17 यूए 4681 के चालक ने लापरवाही व तेज गति से चलाकर उसकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, टक्कर लगने से उसके व कोमल सिंह के चोटें आने व अस्पताल में ईलाज करवाने के बाबत् पेश की है जिस संबंध में परिवादी नरेश पी.डब्ल्यू–01 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने बयानों में रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पुलिस वालों के द्वारा लिखने, बोलेरो गाडी के नंबर उसे पेट्रोल पंप वालों के द्वारा बताने एवं घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर ए से बी दो जगह हस्ताक्षर होने एवं उसके व कोमल सिंह के चोटें आने तथा जिसने दुर्घटना की उसको शक्ल व नाम से नहीं जानने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार अन्य आहत कोमल सिंह गवाह पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए उनके साथ किसने घटना कारित की उसका नाम पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार परिवादी नरेश व आहत कोमल सिंह के द्वारा अपने–अपने बयानों में चालक के रूप में मुल्जिम की पहचान किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा गवाह पी. डब्ल्यू–03 महावीर जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 का गवाह है उक्त गवाह ने नक्शा मौका में क्या लिखा पता नहीं होने एवं नक्शे मौके के बारे में नहीं समझने एवं पुलिस वालों के कहने के आधार पर हस्ताक्षर करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा मजरूबान की चोटों का मेडिकल परीक्षण करने वाला गवाह डॉक्टर ओमप्रकाश मालव पी.डब्ल्यू–04 के रूप में परीक्षित होते हुए आहत नरेश व कोमल के शरीर पर आई हुई चोटों का

मेडिकल परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 तैयार करने व एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 05 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 व 07 को प्रदर्शित करवाते हुए उक्त चोटें गिरने–पडने से आने की संभावना से इंकार नहीं करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–05 राजेन्द्र कुमार जो कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी 08 का गवाह है उक्त गवाह के द्वारा गाडी को वाहन स्वामी के द्वारा लेकर आने व थाने पर जप्त करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–06 रघुवीर सिंह के द्वारा वाहन का मैकेनिकल मुआयना थाने में खडी गाडी का उसके द्वारा करने एवं खरोंच वगैरह नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–07 प्रियंका जिसके द्वारा मजरूब कोमल सिंह का एक्सरे किया गया है उसने एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 10 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 11 व 12 एवं मजरूब नरेश का एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 05 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 व 07 पर हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–08 प्रताप सिंह जो कि अनुसंधान अधिकारी के रूप में पेश हुआ है उक्त गवाह ने अपने बयानों में तहरीरी रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखने एवं मौके पर चार दिन बाद जाने, जिन गवाहों के बयान लेखबद्ध किए उन गवाहों को फरियादी लेकर आने, मौके पर कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिलने एवं खून आलूदा के निशान मौके पर नहीं मिलने, ईलाज के पर्चे शामिल पत्रावली नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में घटना के बाबत् नरेश के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसमें उक्त वाहन अभियुक्त के द्वारा ही तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारकर नरेश व कोमल सिंह के शरीर पर चोटें कारित करते हुए उक्त घटना मुल्जिम ने कारित की हो इस बाबत् कोई भी साक्ष्य किसी भी गवाह के द्वारा अपने–अपने बयानों में नहीं दिया जाना प्रकट होता है, जबकि गवाह नरेश व कोमल सिंह के द्वारा टक्कर किसने मारी उस बाबत् शक्ल से व नाम से कोई जानकारी नहीं होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है तथा किसी भी गवाह ने मुल्जिम ने घटना कारित की हो इस संबंध में कोई पहचान नहीं किया जाना प्रकट होता है, ना ही घटना कारित करने के बाबत् साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना प्रकट होता है तथा अन्य गवाहान के बयान पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं होना प्रकट होता है तथा गवाह नरेश व कोमल सिंह के द्वारा अपने–अपने बयानों में चालक के रूप में मुल्जिम उक्त वाहन को चला रहा हो व घटना कारित की हो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उसमें गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता है,

इस कारण उक्त प्रकरण में अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

25. अतः अभियुक्त **मोलकचंद** पुत्र जानकीलाल निवासी गुराडी थाना छीपाबडौद जिला बारां को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो उसके स्वामी के पास ही रहे। जप्तशुदा वाहन का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निष्प्रभावी समझे जावें।

27. अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। एवं मुलजिम द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज0)

28. निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY